(12)-6

पत्र संख्या–11/आ०नी०-II-05/2022 सा०प्र०....10773

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

रजनीश कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।

पटना–15, दिनांक–....10.07.2024

विषय :– **विभागीय स्थापना/प्रोन्नति/स्क्रीनिंग समिति की बैठक में भाग लेने हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के पदाधिकारियों का मनोनयन के संबंध में।**

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्र संख्या–4276 दिनांक–12.03.2024 द्वारा विभिन्न विभागों की स्थापना/प्रोन्नति/स्क्रीनिंग समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति के पदाधिकारियों का मनोनयन किया गया था।

वर्तमान में कतिपय पदाधिकारियों की सेवानिवृति/प्रोन्नति अथवा अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने, साथ–हीं विभाग द्वारा प्रायोजित बैठकों में मनोनित पदाधिकारियों को ससमय भाग लेने हेतु सुलभ सम्पर्क हेतु उनके मोबाईल नम्बर अधिस्थापित किये जाने के कारण पूर्व के एतद् संबंधी आदेशों को संशोधित करते हुए पदाधिकारियों का मनोनयन निम्नरूपेण किया जाता है :–

क्र०	पदाधिकारी का नाम	प्रतिस्थानी पदाधिकारी का नाम जो स्तम्भ–2 में वर्णित पदाधिकारी की अनुपलब्धता की स्थिति में भाग लेंगे।	आवंटित विभाग
1.	श्री भारत भूषण प्रसाद, विशेष सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना। मो०–9955185596	श्री रबिन्द्र नाथ चौधरी, उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना। मो०–9431265784	1. गृह विभाग। 2. सामान्य प्रशासन विभाग। 3. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। 4. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग। 5. आपदा प्रबंधन विभाग। 6. विधि विभाग। 7. परिवहन विभाग।
2.	श्री सुशांत कुमार, संयुक्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना। मो०–9471456619	श्री हीरामुनी प्रभाकर, विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (सम्बद्ध–शिक्षा विभाग), बिहार, पटना। मोबाईल नं०–9973924078 एवं 6204420787	1. राज्यपाल सचिवालय। 2. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग। 3. संसदीय कार्य विभाग। 4. खान एवं भूतत्व विभाग। 5. वित्त विभाग। 6. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। 7. नगर विकास एवं आवास विभाग।
3.	श्री सुबोध कुमार चौधरी, निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना। मो०–9931285742	श्री अनिल कुमार, संयुक्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना। मो०–9431883255	1. ग्रामीण कार्य विभाग। 2. जल संसाधन विभाग। 3. लघु जल संसाधन विभाग। 4. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग। 5. भवन निर्माण विभाग। 6. पथ निर्माण विभाग।

FILE PATH-D/MITISH LETTER

4.	श्री मृत्युंजय कुमार, मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना। मो०–9308091684	श्री राज किशोर लाल, उप सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना। मो०–9431263780	1. योजना एवं विकास विभाग। 2. ग्रामीण विकास विभाग। 3. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग। 4. सूचना प्रावैधिकी विभाग। 5. उद्योग विभाग। 6. पंचायती राज विभाग। 7. मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, विभाग।
5.	श्री शशि शेखर चौधरी, संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना। मो०–9973538210 एवं 9470652071	श्री मनोज कुमार, संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना। मो०–9470724103	1. पर्यटन विभाग। 2. गन्ना उद्योग विभाग। 3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। 4. सहकारिता विभाग। 5. कृषि विभाग। 6. पशु एवं मत्स्य संसाधन। 7. शिक्षा विभाग।
6.	श्री विश्वजीत हेनरी, विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (सम्बद्ध–श्रम संसाधन विभाग), बिहार, पटना। मो०–8789375583	श्री रामाशंकर, संयुक्त सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना। मो०–9472560035	1. स्वास्थ्य विभाग। 2. कला संस्कृति एवं युवा विभाग। 3. श्रम संसाधन विभाग। 4. खादय एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। 5. वाणिज्य–कर विभाग। 6. उर्जा विभाग।
7.	श्री सुनील कुमार, अपर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना। मो०–9939664210	श्री महेश कुमार दास, संयुक्त सचिव, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग, पटना। मो०–7782959597	1. निगरानी विभाग। 2. निर्वाचन विभाग। 3. समाज कल्याण विभाग। 4. अनु०जाति एव अनु० जनजाति कल्याण विभाग। 5. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

मनोनीत सदस्यों को आवंटत विभागों के विरूद्ध राजस्व पर्षद एवं बिहार लोक सेवा आयोग के राजपत्रित/अराजपत्रित बैठकों में निश्चित रूप से उपस्थित रहना एवं हस्ताक्षर अंकित करना अनिवार्य है। विषयांकित कार्य हेतु **लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना, बिहार विकास मिशन, बिहार, पटना, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार विधान परिषद् सचिवालय एवं बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना** द्वारा आयोजित बैठकों में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना हेतु मनोनीत पदाधिकारी भाग लेंगे। इसी प्रकार **राज्यपाल सचिवालय, पटना द्वारा आयोजित बैठको में मंत्रिमंडल सचिवालय, विभाग के लिए मनोनीत पदाधिकारी भाग लेंगे।**

विभागीय सचिव द्वारा आयोजित बैठक की कार्यावली/नियम के साथ वांछित अभिलेख एक सप्ताहांतर्गत निश्चित रूप से संबंधित मनोनीत सदस्यों को परिचारित करा दिया जाय तथा बैठक के लिए सीधे पत्राचार कर उनसे सम्पर्क किया जाय।

सामान्य तौर पर मनोनीत पदाधिकारी का सचिवालय स्थित किसी अन्य विभाग/निदेशालय/आयोग/प्राधिकार में स्थानांतरण/प्रोन्नति हो जाने पर भी यह मनोनयन अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

मनोनीत सदस्य बिहार आरक्षण अधिनियम–3, 1992 के निहित प्रावधानों तथा अन्य संकल्प/परिपत्रों/आदेशों के अनुपालन में कार्य करेंगे। **साथ ही आवंटित विभागों के अन्तर्गत विभागीय स्तर पर गठित किसी अन्य समिति की बैठक में भी भाग लेने हेतु प्राधिकृत होंगे।**

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन,

10/07/24

(रजनीश कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

FILE PATH-D/NITISH LETTER

ज्ञापांक–11/आ०नी०–II–05/2022 सा०प्र०....10773.......पटना–15, दिनांक–.....10/07/2024.....

प्रतिलिपि–उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद्, पटना/प्रशासी पदाधिकारी, बिहार विकास मिशन, पटना/सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/07/24.

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–11/आ०नी०–II–05/2022 सा०प्र०....10773....पटना–15, दिनांक–.....10/07/2024

प्रतिलिपि–सभी संबंधित पदाधिकरियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/07/24.

सरकार के संयुक्त सचिव।

FILE PATH-D/NITISH LETTER